

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन Ist Annual Report

वर्ष 2001-2002

Year 2001-2002

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

विन्ध्याचल भवन, 'ग' खण्ड, प्रथम तल

Vindhyachal Bhawan, "C" Wing, Ist Floor

भोपाल - 462 004

Bhopal - 462 004

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

बोर्ड के सदस्य - दिनांक 31 मार्च 2002

Members of the Board - as on 31st March, 2002

1. मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश शासन Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	अध्यक्ष Chairman
2. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department	सदस्य Member
3. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department	सदस्य Member
4. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department	सदस्य Member
5. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Public Works Department	सदस्य Member
6. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, योजना विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Planning Department	सदस्य Member
7. श्री आर. गोपालकृष्णन , सचिव, अधोसंरचना विकास बोर्ड Shri R. Gopalakrishnan, Secretary, Infrastructure Development Board	सदस्य Member
8. प्रबंध संचालक , मध्य प्रदेश फायनेंशियल कार्पोरेशन Managing Director, Madhya Pradesh Financial Corporation	सदस्य Member
9. सचिव , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department (Institutional Finance)	निधि प्रबंधक Fund Manager

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना क्रमांक एफ.1-33-99-पीएमयू-305, दिनांक 17 फरवरी, 2000 द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ.1-33-2000-पीएमयू, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक स्कीम, जिसे “मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम” 2001 के नाम से जाना जाता है, अधिसूचित भी की गई है।

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (एम.पी.आई.आई.एफ.बी.) का गठन अधिनियम के अंतर्गत मुख्यतः मध्य प्रदेश शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं, जिसमें सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निस्सारण भी सम्मिलित है, के लिए संसाधन जुटाने हेतु किया गया था। बोर्ड समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि, चाहे बांड या डिबेंचर जारी कर के, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से उधार ले सकेगा। बोर्ड निधि से सहायता केवल ऐसे सार्वजनिक उपक्रम या अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट अन्य उपक्रमों को स्वीकृत कर सकेगा जो बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हों तथा ऐसे प्रस्ताव की विधीक्षा किसी तकनीकी परामर्शी द्वारा की जाना चाहिए।

बोर्ड द्वारा अपनी गतिविधियां वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गई। मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम, 2001 के प्रावधान अनुसार बोर्ड, मूलधन एवं उस पर प्रोदभूत ब्याज को सम्मिलित कर, 1000 करोड़ रूपये से अनधिक की निधि स्थापित कर सकेगा। बोर्ड के कार्य-कलापों को संचालित करने के लिये कोई किसी प्रकार का अतिरिक्त अमला, कार्यालय एवं अन्य स्थापना संबंधी व्यवस्था स्वीकृत

नहीं की गई है। बोर्ड की गतिविधियों को संचालनालय, संस्थागत वित्त, विन्ध्याचल भवन के कार्यालय से ही उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त क्रियान्वित किया जा रहा है। सचिव, संस्थागत वित्त, बोर्ड के निधि प्रबंधक के रूप में कार्यरत है।

मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बोर्ड को यह उपदर्शित किया है कि उनके द्वारा बी.ओ.टी. सड़क परियोजना अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के लिए रूपये 500 करोड़ की निधि की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया कि उक्त निधि विभाग की योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी म. प्र. सेतु निर्माण निगम मर्यादित को प्रदाय की जाये। सेतु निगम ने उनके द्वारा चिन्हित 15 सड़कों, जिनकी लम्बाई 2023.70 किलोमीटर है (विवरण परिशिष्ट-1 पर है), के बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत निर्माण हेतु रू. 500 करोड़ की आवश्यकता दर्शाते हुए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु बोर्ड को प्रस्ताव दिया। मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित द्वारा इस परियोजना की कुल लागत रूपये 987.27 करोड़ आंकलित की गई थी। उन्होंने बोर्ड को यह भी प्रस्ताव दिया कि मूल ऋण की राशि को मय ब्याज के वापिस करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने राज्य बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया जायेगा और विभाग द्वारा बोर्ड के निधि प्रबंधक को उक्त बजट से सीधे राशि आहरित करने हेतु अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार दिया जायेगा। बोर्ड, लोक निर्माण विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित के मध्य एक “मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग” हस्ताक्षरित भी किया गया है। समस्त व्यय, जिसमें लागत एवं ब्याज भी सम्मिलित है, लोक निर्माण विभाग/मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित द्वारा वहन किया जायेगा।

लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं निधि बोर्ड के मध्य किए गए उपरोक्त एम.ओ.यू. के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित द्वारा निधि बोर्ड को परियोजना के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था करने हेतु योजना प्रस्तुत की गई है। परियोजना हेतु धनराशि की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि निधि बोर्ड भिन्न-भिन्न समय पर “निजी प्लेसमेन्ट” के आधार पर बाण्ड जारी करेगा। बोर्ड द्वारा वर्ष 2001-2002 में दिनांक 10 अप्रैल 2001 को रू. 50 करोड़ के लक्ष्य के

साथ बॉण्ड की प्रथम सिरीज़ का निर्गमन निजी प्लेसमेंट में किया गया, जिसमें यह प्रावधान भी था कि यदि बोर्ड चाहेगा तो अधिक अंशदान (यदि प्राप्त हो) को भी मान्य कर सकेगा, जिससे कि बी.ओ.टी. सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण देश की उत्कृष्ट एजेंसियों के माध्यम से किया जा सके। उक्त बॉण्ड मध्य प्रदेश शासन की शर्त रहित एवं अप्रतिसंहरणीय प्रत्याभूति से प्रत्याभूत है। प्रत्येक बॉण्ड का अंकित-मूल्य रूपये 1.00 लाख रखा गया है। निधि बोर्ड को रूपये 50 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रूपये 79.95 करोड़ के आवेदन प्राप्त हुए थे जो कि लक्ष्य से रूपये 29.95 करोड़ अधिक के थे। निधि बोर्ड द्वारा सभी आवेदकों को बॉण्ड आवंटित किये गये। बोर्ड द्वारा बॉण्ड की प्रथम सिरीज़ पर ब्याज 12.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से निर्धारित किया गया। बोर्ड द्वारा यह भी तय किया गया था कि बॉण्ड जारी करने हेतु नियत तिथि 1 मई 2001 समझी जायेगी, तथा आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई राशि, जो कि बोर्ड के खाते में जिस दिनांक को जमा हुई है, उस दिनांक से आवंटन की दिनांक तक का ब्याज बॉण्ड धारक को भुगतान किया जायेगा। बोर्ड की एक शर्त यह भी थी कि बॉण्ड को 4 वार्षिक किस्तों में मोचित करते हुए बॉण्ड धारक को भुगतान किया जायेगा। बॉण्ड के मोचन हेतु प्रथम किस्त दिनांक 1 मई, 2003 को देय है। निधि बोर्ड द्वारा सभी बॉण्ड धारकों को बॉण्ड प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। इस निर्गम में एस.बी. आई. कैपिटल मार्केट्स लिमि. 'सोल-अरेंजर' तथा एम.पी.एफ.सी. कैपिटल मार्केट्स (म.प्र.वित्त निगम का एक डिविजन) 'सलाहकार' थे।

बॉण्ड धारकों का विश्वास प्राप्त करने हेतु निधि बोर्ड द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बॉण्ड की प्रथम सिरीज़ के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। ट्रस्टी बैंक को समय पर ब्याज के भुगतान, बॉण्ड की किस्तों का भुगतान, बॉण्ड का हस्तांतरण आदि कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड और ट्रस्टी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मध्य ट्रस्ट डीड तथा अनुबंध का तदनुसार निष्पादन किया।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय अनुसार बॉण्ड आवेदन के साथ प्राप्त राशि पदाभिहित बैंक खाते में फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा रखी गई तथा रूपये 80.19 करोड़ के ऋण की प्रथम किस्त का भुगतान म.प्र. राज्य सेतु निर्माण

निगम लि. को दिनांक 17 एवं 20 मई 2001 को किया गया। बॉण्ड धारक को वर्ष 2001-2002 के ब्याज के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा बोर्ड को बॉण्ड धारक को प्रथम वर्ष के ब्याज का भुगतान करने हेतु रू. 10.20 करोड़ उपलब्ध कराये गये जो कि ट्रस्टी बैंक के पास उसके निक्षेप में रखे गए हैं तथा देय तिथि पर ट्रस्टी बैंक अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बॉण्ड धारकों को ब्याज का भुगतान किया गया है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान व्यय पर आय का आधिक्य रहते हुए रू. 23,95,000/- की शुद्ध बचत हुई। बोर्ड द्वारा बॉण्ड जारी करने से संबंधित सम्पूर्ण व्ययों को मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लि. द्वारा वहन किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निधि बोर्ड को विश्वास है कि राज्य सरकार की अधोसंरचना विकास परियोजना अर्थात् बी.ओ.टी. सड़क परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेतु निगम की निधि की आवश्यकता हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान बोर्ड द्वारा निधियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी ।

(ए० व्ही० सिंह)

अध्यक्ष

मध्य प्रदेश अधोसंरचना
विनिधान निधि बोर्ड

Ist ANNUAL REPORT

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board was constituted under section 3 (1) of The Madhya Pradesh Adhoshanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000) vide notification no.F.1-33-99-PMU-305 dated 17th February 2000. The Government of Madhya Pradesh also notified a Scheme under the provisions of the Act called as "The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme" 2001 vide notification no.F.1-33-2000-PMU dated 28th April 2001.

The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board (MPIIFB) was constituted under the Act mainly to mobilize resources for infrastructure projects of the Government of Madhya Pradesh, including roads, irrigation, water supply, solid waste management and drainage. The Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to such conditions as the State Government may, by general or special order determine, borrow funds for the purposes enumerated in the Act, by the issue of bonds or debentures or otherwise or by making arrangements with Banks or financial institutions. The Board could grant assistance from the Fund only to public sector undertakings or other undertakings as specified in the Act, which submit the proposal to the Board and such proposals shall be vetted by a Technical Consultant.

The Board started its functioning during the year 2001-2002. According to the provisions of the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board Scheme 2001, the Board could establish a Fund of an amount not exceeding Rs. 1000 crore

(including principal and interest accrued thereon). The Board is a pass-through Vehicle and as such there is no arrangement for additional manpower, office and other establishment sanctioned to conduct the activities of the Board. The activities of the Board are being implemented from the Directorate of Institutional Finance at Vindhyachal Bhawan in addition to their own duties. The Secretary, Institutional Finance also acts as the Fund Manager of the Board.

The Public Works Department of the State Government of Madhya Pradesh indicated to the Board that funds may be arranged to the extent of Rs. 500 crore for construction of roads under BOT road project scheme of the Department. It was also proposed that funds be provided to their implementing agency of the scheme, i.e. Bridge Corporation. The Bridge Corporation also indicated that they will require about Rs. 500 crore to fund their 15 identified roads of 2023.70 kms. in BOT road projects (details are at Annexure-I). The total project cost of these roads assessed by Bridge Corporation was about Rs. 987.27 crore. It was also proposed that repayment of principal amount and interest to the fund for payment of their obligations will be made by the Public Works Department through their State budget and irrevocable authority will be given by the Department to the Fund Manager to draw required amount directly from their budget. A Memorandum of understanding was signed between MPIIFB, Public Works Department and M. P. State Bridge Corporation. All the expenses including cost and interest would be borne by PWD/Bridge Corporation.

According to provisions of the MoU entered into between PWD, Bridge Corporation & Fund Board, Bridge Corporation submitted its periodical

requirement to the Fund Board for the project. Considering the requirement, it was decided that the Fund Board will float bonds at different times by "Private Placement". The Fund Board floated the first series of secured bonds on 10th April 2001 during the year 2001-2002 with a mobilization target of Rs. 50 crore in private placement, with an option to retain over subscription, if any, to construct identified roads under BOT scheme through the best agencies in the country. These bonds were guaranteed by the Government of Madhya Pradesh unconditionally and irrevocably. Each bond certificate had a face value of Rs. 1,00,000.00 each. Against a target of Rs. 50 crore, the Fund Board received applications worth Rs. 79.95 crore, an over subscription of Rs. 29.95 crore. The Fund Board allotted bonds to all the applicants. The first series of bonds was issued at interest rate of 12.75% per annum. It was also proposed that deemed date of issuance of bonds will be 1st May 2001 and interest from the date of application money credited to the Fund Board account to 1st May 2001 will be paid to bond holders. It was also a condition of the bonds that redemption will be made in four equal yearly instalments to the bondholders. The first instalment is due for redemption on 1st May 2003. The Fund Board issued the bond certificates to all the applicants. M/s. SBI Capital Markets Ltd. was the Sole Arranger and M/s. MPFC Capital Markets (a division of M.P. Financial Corporation) was Advisor to the issue.

To gain confidence of the bondholders, the Fund Board appointed Central Bank of India as Trustee for the Ist series of Bonds. The trustee bank was required to handle the entire work relating to timely payment of interest, payment of redemption amount to bond holders, transfer of bonds etc. A Trust deed and agreement was also executed between the Fund Board and the Trustee, Central Bank of India.

According to decisions taken by the Board from time to time, the application money was kept in fixed deposit in the designated bank account and subsequently first installment of loan of Rs. 80.19 crore was released to Bridge Corporation on 17th and 20th May 2001. To repay the interest for the year 2001-2002 to the bondholders, adequate provision was made by Public Works Department in their budget. PWD released Rs. 10.20 crore to the Board during the year for payment of first years interest to the bond holders, which was kept in deposit with the Trustee Bank and later on, on due date, payment of interest was made to Bond holders by the Trustee i.e. Central Bank of India.

During the year 2001-2002, there is a net surplus of income over expenditure to the extent of Rs. 23,95,000/-. The entire expenses relating to issue of the Bonds were borne by Bridge Corporation.

Considering to the above, the Fund Board is confident that the fund requirement of Bridge Corporation to implement infrastructure projects i.e. BOT road projects, necessary arrangement of funds will be made by the Board during the year 2002-2003.

(A. V. SINGH)
CHAIRMAN
Madhya Pradesh Infrastructure
Investment Fund Board

बोर्ड के वित्तीय सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य सेतू निर्माण निगम द्वारा
राज्य सरकार की बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कें

Construction of Roads under B.O.T. Scheme of the State Government by
M.P.State Bridge Corpn. with Financial Assistance of Fund Board

क्रमांक S.No.	सड़क का नाम Name of the Road	कुल लम्बाई Length in Km.	परियोजना लागत Project cost (Rs. in Crore)
1.	Indore-Sanavad-Burhanpur-Edlabad इन्दौर-सनावद-बुरहानपुर-एदलाबाद	203	123.00
2.	Ujjain-Agar-Susner-Jhalawad उज्जैन-आगर-सुसनेर-झालावाड़	134	65.19
3.	Dewas-Ujjain-Badnagar-Badnawar देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर	106	49.30
4.	Hoshangabad-Pipariya-Pachmarhi होशंगाबाद-पिपरिया-पचमढ़ी	123	59.88
5.	Jabalpur-Narsinghpur-Pipariya जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया	140	74.16
6.	Sagar-Damoh-Jabalpur सागर-दमाह-जबलपुर	176	89.70
7.	Katni-Damoh कटनी-दमोह	101	62.30
8.	Hoshangabad-Harda-Khandwa होशंगाबाद-हरदा-खण्डवा	185.60	81.00
9.	Bina-Sironj-Guna बीना-सिरोंज-गुना	144	41.00
10.	Raisen-Rahatgarh रायसेन-राहतगढ़	100	57.72
11.	Mandla-Kanha मण्डला-कान्हा	59	35.00
12.	Satna-Maihar-Tala-Umaria सतना-मैहर-टाला-उमरिया	141.30	54.22
13.	Rewa-Jaisinghnagar-Shahdol-Amarkantak रीवा-जयसिंहनगर-शहडोल-अमरकंटक	246.80	110.00
14.	Seoni-Balaghat-Gondia सिवनी-बालाघाट-गोंदिया	114	59.80
15.	Jabalpur-Patan-Shahpura जबलपुर-पाटन-शाहपुरा	50	25.00

लेखा विवरण

Accounts Statement

वर्ष 2001-2002

Year 2001-2002

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 31 मार्च 2002 पर स्थिति विवरण

दायित्व	राशि रू.	सम्पत्तियां	राशि रू.
प्रथम सिरिज़ के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	79,95,00,000	म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	80,19,00,000
प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर देय ब्याज	9,34,41,563	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा शेष	10,19,95,000
ब्याज भुगतान के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अग्रिम	85,58,437		
वर्ष में व्यय पर आय का आधिक्य	23,95,000		
योग	90,38,95,000	योग	90,38,95,000

सही/-

(डी0 आर0 एस0 चौधरी)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(ए0 व्ही0 सिंह)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि का आय-व्यय पत्रक

व्यय	राशि रू.	आय	राशि रू.
बैंक चार्जेस	5,308	फिक्सड डिपोजिट पर अर्जित ब्याज	24,00,308
प्रथम सिरिज बॉण्ड पर चालू वर्ष का ब्याज	9,34,41,563	ऋण पर अर्जित ब्याज	9,34,41,563
वर्ष में व्यय पर आय का आधिक्य	23,95,000		
योग	9,58,41,871	योग	9,58,41,871

सही/-

(डी0 आर0 एस0 चौधरी)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(ए0 व्ही0 सिंह)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि का प्राप्ति-भुगतान लेखा पत्रक

वर्ष में प्राप्तियां	राशि रू.	वर्ष में भुगतान	राशि रू.
प्रथम सिरिज़ के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	79,95,00,000	म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	80,19,00,000
फिक्सड डिपोजिट पर अर्जित ब्याज	24,00,308	बैंक चार्जेस	5,308
ऋण पर वर्ष में अर्जित ब्याज	9,34,41,563	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा शेष	10,19,95,000
ब्याज भुगतान के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अग्रिम	85,58,437	प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर चालू वर्ष का ब्याज	9,34,41,563
प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर देय ब्याज	9,34,41,563		
योग	99,73,41,871	योग	99,73,41,871

सही/-

(डी0 आर0 एस0 चौधरी)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(ए0 व्ही0 सिंह)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Balance Sheet as at 31st March 2002

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Secured Loans from Private Placement Bond Series-I	79,95,00,000	Loan to MPRSNNL	80,19,00,000
Interest payable on Bond Series-I	9,34,41,563	Central Bank of India A/c	10,19,95,000
Advance against Interest from PDW	85,58,437		
Excess of Income over Expenditure	23,95,000		
Total	90,38,95,000	Total	90,38,95,000

Sd/-
(D.R.S. CHAUDHARY)
FUND MANAGER
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Sd/-
(A. V. SINGH)
CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Income & Expenditure account for the period from 01.04.2001 to 31.03.2002

Expenditure	Amount Rs.	Income	Amount Rs.
Bank Charges	5,308	Interest Earned on FDR	24,00,308
Interest on Bond Series-I	9,34,41,563	Interest earned on Loans	9,34,41,563
Excess of Income over Expenditure	23,95,000		
Total	9,58,41,871	Total	9,58,41,871

Sd/-
(D.R.S. CHAUDHARY)
FUND MANAGER
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL

Sd/-
(A. V. SINGH)
CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Receipt & Disbursement account for the period from 01.04.2001 to 31.03.2002

Receipts	Amount Rs.	Disbursements	Amount Rs.
Secured loans from Private placement-Series-I	79,95,00,000	Loan to MPRSNNL	80,19,00,000
Interest Earned on FDR	24,00,308	Bank Charges	5,308
Interest Earned on loans	9,34,41,563	Central Bank of India A/c	10,19,95,000
Advance against Interest from PWD	85,58,437		
Interest Payable on Bonds-Series-I	9,34,41,563	Interest on Bonds-Series-I	9,34,41,563
Total	99,73,41,871	Total	99,73,41,871

Sd/-
(D.R.S. CHAUDHARY)
FUND MANAGER
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL

Sd/-
(A. V. SINGH)
CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B., BHOPAL